

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 70 / एल 2-6 / 2012 / वित्त / ब-4 / चार,
प्रति,

रायपुर, दिनांक 25-04-2012


रागस्त प्रमुख सचिव/सचिव
- छत्तीसगढ़ शासन
.....विभाग
मंत्रालय, रायपुर ।

विषय:- वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे तैयार करने हेतु जानकारी महालेखाकार
कार्यालय को भेजने बाबत ।

विषयांतरित महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक
रिपोर्ट (वित्त)/एफ-15/2011-12/323 दिनांक 20.03.2012 एवं पत्र क्रमांक रिपोर्ट(वित्त)
/एफ-43/वित्त./2012-13/353 दिनांक 02.04.2012 की छायाप्रति संलग्नकों सहित
संलग्न है ।

कृपया पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे हेतु
वांछित जानकारी मार्च 2012 के लेखे बन्द होने के पश्चात तुरंत महालेखाकार कार्यालय में
श्रीमती स्निग्धा मुखर्जी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रभारी रिपोर्ट (वित्त) के नाम पर सर्वोच्च
प्राथमिकता के आधार पर भिजवाने हेतु संबंधित अधिकारियों को यथोचित निर्देश देने का कष्ट
करें । जिससे कि वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे में उक्त जानकारी को शामिल किया जा
सके ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(सी.जे.सखत्री)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग


पु.क्रमांक 71/एल 2-6/2012/वित्त/ब-4/चार,
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 25-04-2012

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, रायपुर को उनके पत्र क्रमांक रिपोर्ट
(वित्त)/एफ-15/2011-12/323 दिनांक 20.03.2012 एवं पत्र क्रमांक
रिपोर्ट(वित्त)/एफ-43/वित्त./2012-13/353 दिनांक 02.04.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ
प्रेषित ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,
रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक रिपोर्ट (वित्त)/एफ-15/2011-12/323 दिनांक 20.03.2012
एवं पत्र क्रमांक रिपोर्ट(वित्त)/एफ-43/वित्त./2012-13/353 दिनांक 02.04.2012 की
छायाप्रति संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया पत्र में दिये गये
निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे हेतु वांछित जानकारी मार्च 2012 के लेखे
बन्द होने के पश्चात तुरंत महालेखाकार कार्यालय में श्रीमती स्निग्धा मुखर्जी, वरिष्ठ लेखा
अधिकारी, प्रभारी रिपोर्ट (वित्त) के नाम पर भिजवाने का कष्ट करें ।

3. प्रोग्रामर, एफ.एम.आई.एस. वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
संलग्न:- उपरोक्तानुसार (स.क्र. 02 के लिए)


(प्रशांत लाल)
शोध अधिकारी, वित्त विभाग

कार्यालय महालेखाकार (ले./ह.) छत्तीसगढ़, रायपुर

11

क. रिपोर्ट (वित्त)/एफ 15/2011-12/323

दिनांक : 20.03.2012

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, डी.के.एस. भवन
रायपुर (छत्तीसगढ़)

17.37
4-3-3-12

विषय : वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे में सम्मिलित करने हेतु जानकारी सेजने बाबत

महोदय,

छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 11, 12 एवं 13 में क्रमशः राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2011-12 के आंकड़े एवं 2010-11 के आंकड़ों की तुलनात्मक वृद्धि अथवा कमी को 'विशेष कारणों सहित' दर्शाते हुए सम्मिलित की जाना है। इस हेतु प्रारूप 'क' (1) से 'क' (3) संलग्न है।

2. उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा वस्तु के रूप में दिये गये सहायता अनुदान (GIA in kind) की जानकारी भी राज्य वित्त लेखे में सम्मिलित की जाना है। इस बाबत प्रारूप 'ख' संलग्न है।

उपरोक्त कठिनाइयों ने चाही गयी जानकारी हेतु प्रारूप 'क' (1) से 'क' (3) एवं 'ख' संलग्न कर अनुरोध है कि विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत उपशीर्षवार वृद्धि अथवा कमी (अर्थात् एक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न उपशीर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी के कारणों) की सम्बन्धित जानकारी तथा राज्य शासन द्वारा दिये गये वस्तु रूपी सहायता अनुदान (GIA in kind) की जानकारी मार्च 2012 के लेखे बन्द होने के तुरन्त पश्चात् समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों से प्राप्त कर आवश्यक रूप से श्रीमती स्निग्धा मुखर्जी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रभारी रिपोर्ट (वित्त) के नाम से भिजवाने की व्यवस्था करें जिससे वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे में उक्त जानकारी को सम्मिलित की जा सके।

कृपया उपरोक्त वांछित जानकारी प्राथमिकता से अधार पर शीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था

35 (K)
12 MAR 2012

Handwritten initials and signature

23 MAR 2012

संलग्न : उपरोक्त मुत्तर

क्रमांक 683
दिनांक 20
24/03/2012

भवदीय,

Handwritten signature
19/3/12
वरि. लेखा अधिकारी/रिपोर्ट (वित्त)

Handwritten notes and signatures at the bottom left

प्रपत्र (क)-1

राजस्व प्राप्तियां

सं. क्र.	मुख्य शीर्ष	उपशीर्ष	वर्ष 2010-11 में कुल प्राप्तियां	वर्ष 2011-12 में कुल प्राप्तियां	वृद्धि/कमी की राशि	वृद्धि/कमी के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम/पदनाम
कार्यालय का पता :
दूरभाष क्रमांक :
मोबाईल क्रमांक :
फैक्स नं.

(कृपया कार्यालय का पता/दूरभाष क्रमांक/मोबाईल क्रमांक/फैक्स नम्बर को आवश्यक रूप से दर्शाए जावे)

प्रपत्र (क)-2

राजस्व व्यय

सं. क्र.	मुख्य शीर्ष	उपशीर्ष	वर्ष 2010-11 में उपशीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	वर्ष 2011-12 में कुल व्यय	वृद्धि/कमी की राशि	वृद्धि/कमी के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम/पदनाम
कार्यालय का पता :
दूरभाष क्रमांक :
मोबाईल क्रमांक :
फैक्स नं.

(कृपया कार्यालय का पता/दूरभाष क्रमांक/मोबाईल क्रमांक/फैक्स नम्बर को आवश्यक रूप से दर्शाए जावे)



क्रमांक/सिमा (वित्त)/एफ-43/पि.जे/2012-13/353

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT), CHHATTISGARH, RAIPUR

दिनांक : 02/04/12
Date :

क्रमांक क्रमांक 13
व-4) रायपुर, दिनांक 11/04/2012

पूर्ण चन्द्र माझी
महालेखाकार

प्रेम मिश्रा जी

राज्य वित्त लेखे में वर्ष के दौरान लागू नवीन योजनाओं तथा राज्य के प्रतिबद्धित दायित्वों (Committed Liabilities) से संबंधित परिशिष्ट सम्मिलित किये जाने हेतु राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा विहित प्रारूप में जानकारी गेजी जाती है। वर्ष 2010-11 के वित्त लेखे हेतु 6वें परिशिष्टों की जानकारी इस कार्यालय में प्राप्त हुई थी, किन्तु इन परिशिष्टों को जानकारी अपूर्ण एवं अपारंपरिक होने के कारण राज्य वित्त लेखे में सम्मिलित नहीं की जा सकी।

राज्य शासन के प्रतिबद्धित दायित्वों (Statement on Committed Liabilities) का परिशिष्ट समस्त विभागों द्वारा पूर्ण रूप उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस कार्यालय द्वारा देशर की गई मार्गदर्शिका एवं नमूना प्रारूप संलग्नित किया जा रहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप समस्त विभागाध्यक्षों को मार्गदर्शिका तथा नमूना प्रारूप अनुरार राज्य शासन के प्रतिबद्धित दायित्वों का परिशिष्ट पूर्ण कर 15 मई, 2012 तक निविदा रूप से इस कार्यालय को प्रेषित करने बाबत आवश्यक निर्देश जारी करें। ताकि वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे में संबंधित परिशिष्ट को सम्मिलित किया जा सके, साथ ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2011-12 में चालू नवीन योजनाओं को जानकारी भी उपलब्ध कराई जावे।

- संलग्न-1) मार्गदर्शिका तथा नमूना प्रारूप
- 2) राज्य शासन के प्रतिबद्धित दायित्वों का प्रारूप

श्री डी.एस. मिश्रा
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय
डी.के.एस. भवन,
रायपुर

9 APR 2012
Handwritten notes and signatures on the left margin.

Handwritten signatures and initials, including 'J.S. (R)' and 'S.L. Sarda'.

“ मविष्य में राज्य के प्रतिबद्धित दायित्वों का विवरण पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शिका ”

I Accounts Payable

स्तम्भ क्रमांक-2

स्तम्भ क्रमांक 2 में निम्नलिखित दायित्व दर्शायी जावे।

- (1) आयोजनेत्तर वेतन
- (2) ब्याज के भुगतान (6003-आंतरिक ऋण)
- (3) Accrued Debt
- (4) भुगतान हेतु बकाया बिल

स्तम्भ क्रमांक 3 (प्लान)

इस स्तम्भ में जानकारी निरंक दर्शाये जाने।

स्तम्भ क्रमांक 4 (आयोजनेत्तर)

- 1) आयोजनेत्तर वेतन :- वर्ष 2012-13 को वास्तविक आयोजनेत्तर वेतन व्यय तथा वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के अनुमानित आयोजनेत्तर वेतन व्यय की राशि वर्ष वार दर्शायी जावे।
- 2) ब्याज के भुगतान :- वर्ष 2012-13 में आन्तरिक ऋणों से संबंधित ऋणों पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज की राशि तथा वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 पर किये जाने वाले ब्याज भुगतान की व्यय की राशि वर्ष वार दर्शाये जावे।
- 3) भुगतान हेतु बकाया बिलों की जानकारी :- इस भद्र हेतु दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में आयोजनेत्तर ऋण से भुगतान हेतु बकाया बिलों की राशि दर्शाए।
- 4) Accrued Debt :- Accrued Debt से आशय ऐसे ऋणों से है जिसका पुनर्भुगतान किया जा रहा है किन्तु ऋण की राशि राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 31 मार्च 2012 की स्थिति में मुख्यशीर्ष 6003 को अन्तर्गत यदि ऐसा कोई ऋण है तो स्तम्भ क्रमांक 4 में दर्शाए।

स्तम्भ क्रमांक 5, 6 एवं 7 :

स्तम्भ क्रमांक 3 एवं 4 में वर्णित प्रतिबद्धित दायित्व की राशि का भुगतान के स्रोत की जानकारी स्तम्भ क्रमांक 5,6 एवं 7 में तदनुसार दर्शायी जावे।

साम्प्र कर्मांक 8 :

- 1) कालम नम्बर 2 में दर्शाए गए आयोजनेतर देतन के दायित्व तथा ब्याज के भुगतान के दायित्व हेतु 2013-14 से 2015-16 वर्षादि, कालम नम्बर 3 एवं 4 में दर्शाये गये भुगतान हेतु बकाया बिलों के दायित्व हेतु 2012-13 वर्षादि, 2013-14 से 2015-16 वर्षादि एवं कालम नम्बर 4 Accrued Debt के दायित्व हेतु ऋणों के पुनर्भुगतान का अंतिम वर्ष दर्शाया जाये।

साम्प्र कर्मांक 9 :

- 1) आयोजनेतर देतन के दायित्व हेतु वर्ष 2011-12 में भुगतान किये गये आयोजनेतर देतन व्यय की राशि दर्शायी जावे।
- 2) भुगतान हेतु बकाया बिलों के दायित्व हेतु निरंक दर्शायी जाये।
- 3) ब्याज के भुगतान के दायित्व हेतु वर्ष 2011-12 में भुगतान किये गये आंतरिक ऋण पर ब्याज की राशि दर्शायी वर्ष वार जावे।
- 4) Accrued Debt के दायित्व हेतु वर्ष 2011-12 में भुगतान किये गये पुनर्भुगतान की राशि वर्ष वार दर्शायी जावे।

साम्प्र कर्मांक 10 :

- 1) आयोजनेतर देतन के दायित्व हेतु कालम नम्बर 4 में दर्शायी गयी राशि से कालम नम्बर 9 में दर्शायी गयी राशि को घटाकर निवल राशि दर्शायी जाये।
- 2) भुगतान हेतु बकाया बिलों के दायित्व हेतु कालम नम्बर 4 में दर्शायी गयी राशि ही दर्शाये जावे।
- 3) ब्याज के भुगतान के दायित्व हेतु कालम नम्बर 4 में दर्शायी गयी राशि से कालम नम्बर 9 में दर्शायी गयी राशि को घटाकर निवल राशि वर्ष वार दर्शायी जावे।
- 4) Accrued Debt के दायित्व हेतु कालम नम्बर 4 में दर्शायी गयी राशि से कालम नम्बर 9 में दर्शायी गयी राशि को घटाकर निवल राशि दर्शायी जावे।

कृपया उपरोक्त बातों की राशि तालिका में दर्शाये।

II केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्यांश की जानकारी

स्तम्भ क्रमांक 2 :

दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में ऐसी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं जिसमें केन्द्रांश विमुक्त किया जाना था किन्तु विमुक्त न किया गया हो ऐसे योजनाओं का नाम दर्शाया जावे।

स्तम्भ क्रमांक 3 :

स्तम्भ क्रमांक 2 में दर्शायी गयी योजनाओं में दिनांक 31.03.2012 को विमुक्ती हेतु बकया राज्यांश की राशि दर्शाये।

स्तम्भ क्रमांक 4 :

स्तम्भ क्रमांक 4 में निरंक दर्शाये जावे।

स्तम्भ क्रमांक 5, 6 एवं 7 :

स्तम्भ नम्बर 3 में दर्शाये गये राज्यांश की राशि का भुगतान के स्रोत की जानकारी कालम नम्बर 5, 6 एवं 7 में तदनुसार दर्शाये जावे।

स्तम्भ क्रमांक 8 :

स्तम्भ क्रमांक 3 में दर्शाये गयी राशि का भुगतान किस वर्ष में किया जावेगा उस वर्ष की जानकारी दर्शाये जावे।

स्तम्भ क्रमांक 9 :

स्तम्भ क्रमांक 9 में निरंक दर्शाये जावे।

स्तम्भ क्रमांक 10 :

स्तम्भ क्रमांक 10 में स्तम्भ क्रमांक 3 की राशि दर्शाये जावे।

कुपया उपरोक्त स्तम्भों की राशि तालिका के दृष्टि से।

III आयोजना मद से आयोजनेतर मद में स्थानान्तरित योजनाएं।

सन्तान्यतः पंचवर्षीय योजना काल के पूर्ण होने पर केन्द्र क्षेत्रीय योजना, केन्द्रीय प्रयत्नित योजना, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता योजना इत्यादि को आयोजनेतर मद से स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप संबंधित योजनाओं के संचालन का अधिकतम राज्य सरकारों पर उत्पन्न होता है। यदि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 में कोई योजना को आयोजना मद से आयोजनेतर मद में स्थानान्तरित किया गया है, तो उन योजनाओं की जानकारी इस वर्ग में उपलब्ध करवाई जाये।

11 वी पंचवर्षीय योजना से उत्पन्न समर्पित आयोजनेतर व्यय

योजना आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी 12 वी पंचवर्षीय योजना (2012-17) में व्यय के प्राधिकरण से संबंधित दिशा-निर्देशानुसार निम्नलिखित व्ययों की प्रकृति को समर्पित आयोजनेतर व्यय (Committed Non Plan Expenditure) माना जाना चाहिए।

- 1) सार्वजनिक विकास योजनाएं जो दिनांक 31.03.2012 तक पूर्ण हुए हैं उनके संचालन एवं अनुसंधान व्यय को आयोजनेतर व्यय माना जाना चाहिए।
- 2) यदि कोई विकास योजना 11 वीं पंचवर्षीय योजना के काल में पूर्ण नहीं होती है एवं उक्त योजना को 12 वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखा जाता है एवं उक्त योजना से यदि कोई आस्तियों निमित्त किये जाते हैं अथवा कोई रोवरण स्थापित किये जाते हैं तो उन आस्तियों एवं सेवाओं के परिचालन एवं अनुसंधान पर किये जाने वाले व्यय को 12 वीं योजना काल में समर्पित आयोजनेतर व्यय माना जाना चाहिए।
- 3) यदि कोई कार्यक्रम/योजना/प्रतिनिधि चरणबद्ध रूप में कार्यान्वयन किया जाता है तो पूर्ण हुए चरण में कार्यरत मैदानी आगला (Field Staff) तथा मुख्यालय अमल के व्यय को समर्पित आयोजनेतर व्यय माना जाना चाहिए।
- 4) सनस्त विद्यमान संस्थाएं एवं संघसंघों के अनुसंधान संबंधी व्यय को समर्पित आयोजनेतर व्यय माना जाना चाहिए।
- 5) स्वास्थ्य, शिक्षा, पत्र आपूर्ति इत्यादि क्षेत्र में ऐसी योजनाएं जो आवर्तित प्रकृति की हैं उन योजनाओं में दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन व्यय को समर्पित आयोजनेतर व्यय माना जाना चाहिए। उपरोक्त प्रकृति के कर्मचारियों वर्ष 2012-13 में उत्पन्न होने संभावित हैं। तद्विषय वर्ष 2011-12 में उत्पन्न प्रकृति के अधिकार हेतु खोली गई आयोजनेतर योजनाएं एवं वर्ष 2011-12 में आयोजना मद से आयोजनेतर में स्थानान्तरित योजना से उत्पन्न व्यय वृद्धि का भोजनवार जानकारी इस वर्ग के अन्तर्गत दर्शाए। संबंधित योजना का क्रम क्रमांक 2 में दर्शाए, उत्पन्न क्रमांक 3 में निरंक दर्शाए, कालानुसार क्रमांक 4 में उक्त योजना के वर्ष 2011-12 के वार्षिक व्यय तथा आगामी तीन वर्षों में (अर्थात् 2012-13, 2013-14, 2014-15) में किए जाने वाले अनुमानित व्यय को वर्षवार दर्शाए। कालानुसार क्रमांक 5, 6 एवं 7 में संबंधित व्यय उद्योग की जानकारी देंगे। कालानुसार क्रमांक 8 में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 दर्शाए। कालानुसार क्रमांक 9 में 2011-12 के वार्षिक व्यय दर्शाए। कालानुसार क्रमांक 10 में कालानुसार क्रमांक 5 एवं क्रमांक 6 के अंतर को दर्शाए।

(कृपया उक्त स्तम्भों में राशि लाखों में दर्शाए)

IV अपूर्ण परियोजनाओं में उत्पन्न दायित्व की राशि :

स्तम्भ क्रमांक 2 :

दिनांक 31.03.2012 को अपूर्ण परियोजनाओं के नाम दर्शाया जावे।

स्तम्भ क्रमांक 3 एवं 4 :

स्तम्भ क्रमांक 2 में दर्शायी गयी योजनाओं पर योजनाओं की समाप्ति तक किये जाने वाले समर्पित व्यय की राशि तथा उन परियोजना पर वर्ष 2011-12 में किये गये वास्तविक व्यय की कुल राशि दर्शाये। दिनांक 31.03.2012 को विमुक्ती हेतु बकाया राज्यांश की राशि दर्शावे।

स्तम्भ क्रमांक 5, 6 एवं 7 :

कालम नम्बर 3 एवं 4 में उचित अपूर्ण परियोजनाओं की राशि का भुगतान के स्रोत की जानकारी कालम नम्बर 5, 6 एवं 7 में तदनुसार दर्शाये जावे।

स्तम्भ क्रमांक 8 :

स्तम्भ क्रमांक 3 एवं 4 में दर्शायी गयी राशि का भुगतान किस वर्ष में किया जावेगा उस वर्ष की जानकारी दर्शाये जावे।

स्तम्भ क्रमांक 9 :

स्तम्भ क्रमांक 9 में वर्ष 2011-12 में किये गये व्यय दर्शाये जावे।

स्तम्भ क्रमांक 10 :

स्तम्भ क्रमांक 10 में स्तम्भ क्रमांक 3 एवं 4 में दर्शायी गयी राशि में से स्तम्भ क्रमांक 9 की राशि को घटाकर निम्न राशि दर्शाये जावे।

कृपया उक्त स्तम्भों के राशि लेखों में दर्शावे।

राज्य का
बजट

Statement on Committed Liabilities of the State in future
{AS ON 31-03-2012}

(Rupees in Lakh)

Sl.No.	Nature of the Liability	Amount		Likely Sources from which proposed to be met			Likely year of the discharge	Liabilities discharge during the year	Balance remaining (Total of 4 less 9)
		Plan	Non Plan	States Own Resources	Central Transfers	Raising Debt (Specify)			
1	Accounts Payable								
	Salary								
	2011-12		1000						
	2012-13		2000						
	2013-14		3000						
	2014-15		4000				2012-2015	1000	9000
	Interest								
	Payment								
	2011-12		5000				2012-15	5000	21000
	2012-13		6000						
	2013-14		7000						
	2014-15		8000						
	Total								
	Bills pending for payment 31-03-2012		5000				2012-13		5000
	Accrued Debt								
II	State's Share in Centrally Sponsored Scheme								
1	Mention the name of the scheme in which the state share has not been released	100000	--				2012-13		100000
	Total								

9/9

Statement on Committed Liabilities of the State in future
(As on 31-03-2012)

(₹ in Lakh)

Sl. No.	Nature of Liability	Amount (₹ in Lakh)		Likely Sources from which proposed to be met			Likely year of the discharge	Liabilities discharge during the year	Balance remaining
		Plan	Non Plan	States Own Resources	Central Transfers	Raising Debt (Specify)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Accounts Payable(*)									
1.									
2.									
3.									
4.									
	Total								
II State's Share in Centrally Sponsored Scheme									
1.									
2.									
3.									
4.									
	Total								
III Liabilities in the form of transfer of Plan Schemes to Non-Plan Heads									
1.									
2.									
3.									
4.									
	Total								
IV Liabilities arising from Incomplete Projects									
1.									
2.									
3.									
4.									
	Total								
V Others/Miscellaneous									
1.									
2.									
3.									
4.									
Grand Total									

* Accounts payable includes the committed liabilities in the form of non plan salary expenditure, pension, interest payments, accrued debt bills pending for payments etc.